

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीण्डर, जिला - उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री रमेश सीरवी पुनाडियां R.A.S.

GCMS प्रकरण संख्या.....2021/872

प्रकरण संख्या.....95/2021

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

अनवान

श्री मार्गीलाल

बनाम

राज्य सरकार

निर्णय

दिनांक : 31.01.2022


1. प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र प्रशासन गांवों के संग अभियान शिविर में प्रस्तुत किया गया जिसमें प्रार्थी ने निवेदन किया की प्रार्थी की भूमि मौजा दौलतपुरा, पटवार हल्का सालेड़ा, तहसील कानोड़ में जमाबन्दी सवत् 2078-81 की खाता संख्या 21, 23, 25, 40 एवं मौजा सालेड़ा, ग्राम पंचायत सालेड़ा के खाता संख्या 274, 387 कुल खाता 6 में प्रार्थी के पिता का नाम मांगीलाल पिता किसना दर्ज है जबकि प्रार्थी के पिता का वास्तविक नाम मांगीलाल पिता किशनलाल जाति अहीर है, प्रार्थी के सभी राजकीय दस्तावेजों में यही नाम अंकित है लेकिन गलती से मौजा दौलतपुरा, पटवार हल्का सालेड़ा, तहसील कानोड़ में जमाबन्दी सवत् 2078-81 की खाता संख्या 21, 23, 25, 40 एवं मौजा सालेड़ा, ग्राम पंचायत सालेड़ा के खाता संख्या 274, 387 कुल खाता 6 में प्रार्थी के पिता का नाम मांगीलाल पिता किसना दर्ज है। अतः प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि उक्त आराजियात में प्रार्थी का नाम मांगीलाल पिता किसना की बजाय मांगीलाल पिता किशनलाल जाति अहीर किया जावे।
2. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज किया गया एवं तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट जिसमें बताया कि मांगीलाल पिता किसना को मांगीलाल पिता किशनलाल किये जाने की अनुशंसा की एवं ग्राम पंचायत सालेड़ा द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया गया जिसमें बताया कि प्रार्थी के पिता किसना एवं किशनलाल दोनो एक ही व्यक्ति है एवं गांव में यह इन्हीं दोनो नामों से जाना जाता है। प्रार्थी के राजस्व रेकॉर्ड में अंकित सहखातेदारों ने भी अपनी सहमति प्रकट की जिसमें उन्होंने बताया की मौजा दौलतपुरा, पटवार हल्का सालेड़ा, तहसील कानोड़ में जमाबन्दी सवत् 2078-81 की खाता संख्या 21, 23, 25, 40 एवं मौजा सालेड़ा, ग्राम पंचायत सालेड़ा के खाता संख्या 274, 387 कुल खाता 6 में प्रार्थी के पिता का नाम मांगीलाल पिता किसना दर्ज है जबकि प्रार्थी के पिता का वास्तविक नाम मांगीलाल पिता किशनलाल जाति अहीर है, प्रार्थी के सभी राजकीय दस्तावेजों में यही नाम अंकित है लेकिन गलती से मौजा दौलतपुरा,



*(Handwritten signature)*

पटवार हल्का सालेड़ा, तहसील कानोड़ में जमाबन्दी सवत् 2078-81 की खाता संख्या 21, 23, 25, 40 एवं मौजा सालेड़ा, ग्राम पंचायत सालेड़ा के खाता संख्या 274, 387 कुल खाता 6 में प्राथी के पिता का नाम मांगीलाल पिता किसना लिखा हुआ है। हम सभी सहखातेदार सहमत है की प्रार्थी के पिता का नाम कसना की बजाय किशनलाल किया जाये। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज जिसमें आधार कार्ड, बैंक पास बुक, राशन कार्ड इत्यादि में भी प्रार्थी का नाम मांगीलाल पिता किशनलाल जाति अहीर दर्ज है।

3. हमने पत्रावली का अध्ययन किया सम्पूर्ण दस्तावेजों का अवलोकरन करने प्रार्थी एवं विपक्षी द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं बहस पर मनन करने के बाद प्रार्थी के नाम दर्ज मौजा दौलतपुरा, पटवार हल्का सालेड़ा, तहसील कानोड़ में जमाबन्दी सवत् 2078-81 की खाता संख्या 21, 23, 25, 40 एवं मौजा सालेड़ा, ग्राम पंचायत सालेड़ा के खाता संख्या 274, 387 कुल खाता 6 में प्राथी के पिता का नाम मांगीलाल पिता किसना दर्ज है जबकि प्रार्थी के पिता का वास्तविक नाम मांगीलाल पिता किशनलाल जाति अहीर है, प्रार्थी के सभी राजकीय दस्तावेजो में यही नाम अंकित है लेकिन गलती से मौजा दौलतपुरा, पटवार हल्का सालेड़ा, तहसील कानोड़ में जमाबन्दी सवत् 2078-81 की खाता संख्या 21, 23, 25, 40 एवं मौजा सालेड़ा, ग्राम पंचायत सालेड़ा के खाता संख्या 274, 387 कुल खाता 6 में प्राथी के पिता का नाम मांगीलाल पिता किसना दर्ज है। अतः खाता संख्या 21, 23, 25, 40, 274, 387 में प्रार्थी का नाम मांगीलाल पिता किसना की बजाय मांगीलाल पिता किशनलाल किया जाना उचित प्रतीत होता है।
4. अतः प्रार्थी के नाम दर्ज मौजा दौलतपुरा, पटवार हल्का सालेड़ा, तहसील कानोड़ में जमाबन्दी सवत् 2078-81 की खाता संख्या 21, 23, 25, 40 एवं मौजा सालेड़ा, ग्राम पंचायत सालेड़ा के खाता संख्या 274, 387 कुल खाता 6 में प्राथी के पिता का नाम मांगीलाल पिता किसना के बजाय मांगीलाल पिता किशनलाल जाति अहीर किया जाता है। तहसीलदार राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद करे।
5. निर्णय खुले इजलास मजमें आम प्रशासन गांवों के संग अभियान कैम्प कोर्ट सालेड़ा में सुनाया गया। पत्रावली फैशल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

  
(रमेश सीरवी पुनाड़िया RAS)  
उपखण्ड अधिकारी  
भीण्डर जिला-उदयपुर(राज.)